—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री धन्नाराम सुथार — प्रार्थी
2. श्री जगराज सिंह भारी — अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 25/3/26

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री धन्नाराम सुथार द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार सदस्य है एवं हिन्दू विधि से शासित होने के कारण प्रत्येक का पैतृक सम्पति में बतौर सहदायिक जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वाद पत्र की गोईयत को समझने के लिए प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व 3 आपस में सगे भाई—बहन है व अप्रार्थी सं.1 माता है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 20 पीबीएन के खाता सं. 85/93 के प.न.0/319 (16) के किला नं.5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025 की कुल 0.506 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला सरता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जो प्रार्थी के दादा पोकरराम को लगभग वर्ष 1960 में 50 बीघा कृषि भूमि अलौट हुई थी और प्रार्थी के दादा पोकरराम ने 50 बीघा कृषि भूमि में से 10 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता हनुमानराम के नाम करवा दी तथा हनुमानराम ने अपने नाम दर्ज 10 बीघा कृषि भूमि में से 8 बीघा कृषि भूमि वर्ष 1990 में बैचान

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कर तहसील खाजुवाला में 125 बीघा जमीन खरीद की एवं तहसील पीलीबंगा के चक 20 पीबीएन में स्थित 2 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की माता अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज करवा दी। जो वर्तमान में अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बंध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 ता 3 द्वारा मौखिक घराघरू बंटवारा किया हुआ था जिसके अनुसार अप्रार्थी स.2 ने प्रश्नगत कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 व 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग दिया था। प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 व 3 कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते हुए चले आ रहे है, लेकिन प्रार्थी के नाम प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इस कारण प्रार्थना पत्र दफा 3 में अप्रार्थी स.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अप्रार्थी स.1 का नाम कलमजन कर प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी अपने 1/3 हक व हिस्सा अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है व खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी स.1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और अप्रार्थी स. 1 ता 3 प्रार्थी से रंजिश रखते है। इस कारण अप्रार्थी स.1 के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नजायज फायदा उठाने के आशय से प्रार्थी को मुताबिक घराघरू बंटवारा में प्राप्त हुई कृषि भूमि में हक व हिस्सा मारने हेतू अप्रार्थीगण प्रयासरत है तथा प्रार्थी का हक मारने की गर्ज से प्रश्नगत कृषि भूमि को फर्जी व कुटरचित दस्तावेज के आधार पर व लालच से वशीभूत होकर प्रार्थी को प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा की कृषि भूमि को ओने पोने दामो में किसी अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की फिराक में है व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा अनुसार प्राप्त कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति कारित होगी। इस कारण प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि को मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार घोषणा करवाने से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषिद्व रहे । प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी स. 1 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 20 पीबीएन के खाता स. 85/93 के प.न. 0/319 (16) के किला न. 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025 की कुल 0.506 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि को मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार घोषणा करवाने से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषिद्व रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी स. 1 ता फैसला वाद इस आशय की जारी की जावें कि अप्रार्थी तहसील पीलीबंगा के चक 20 पीबीएन के खाता स.85/93 के प.न.0/319 (16) के किला न. 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025 की कुल 0.506 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि को मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार घोषणा करवाने से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विशिष्ट किलो का बैचान करने से निषिद्व रहे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी की एकपक्षीय तौर पर सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जगराज सिंह भारी अधिवक्ता हाजिर जवाब प्रस्तुत किया गया है जवाब शामिल पत्रावली है जो निम्नप्रकार से है–

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित की सजरा खानदान की हद तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रश्नगत कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं. 1 के ससुर पोकरराम पुत्र हरलाल को 1960 में आंवटन हुई थी। मुझ अप्रार्थी सं.1 के ससुर को 1960 में आंवटन हुई कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.1 के ससुर पोकरराम की स्वअर्जित कृषि भूमि थी। मुझ अप्रार्थी सं.1 के ससुर पोकरराम ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में से 10 बीघा कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.1 के पति यानी अपने बेटे हनुमानराम के नाम दर्ज करवा दी। मुझ अप्रार्थी सं.1 के पति हनुमानराम के नाम 10 बीघा भूमि हनुमानराम की अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि हुई। मुझ अप्रार्थी सं.1 के पति ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में से 8 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। शेष कृषि भूमि अपनी पत्नी यानी मुझ अप्रार्थी सं.1 के नाम जरिये दस्तावेज दान पत्र दिनांक 04.09.2019 को नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार से मुझ अप्रार्थी सं.1 के ससुर पोकरराम ने अपनी आंवटनशुदा भूमि अपने जीवनकाल में अपने पुत्र हनुमानराम के नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार मुझ अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज हुई कृषि भूमि स्वअर्जित कृषि भूमि है । मुझ अप्रार्थी सं.1 को अपने पति की स्वअर्जित कृषि भूमि प्राप्त हुई हैं जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2, 3 का हक व हिस्सा नही है न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2, 3 मेरी स्वअर्जित कृषि भूमि में किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी के नाम दर्ज कृषि भूमि उसकी स्वंय की स्वअर्जित कृषि भूमि है उसमें किसी भी वारीसान का हक व हिस्सा नही है। जब मुझ अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है तो मौखिक हक व हिस्सा छोड़ने की बात मनगढ़त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी सं.1 की स्वअर्जित कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.2, 3 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुरू से ही काबिल खारिज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मिन अप्रार्थी सं.1 की स्वअर्जित कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2, 3 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। उक्त भूमि बावत कभी कोई धरू बंटवारा नही हुआ है। मिन अप्रार्थी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि पर मिन अप्रार्थी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। मिन अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज स्वअर्जित कृषि भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय नही करना चाहती है। प्रार्थी ने मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अंकित किये है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थी का वाद पत्र काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र [illegible] 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है अन्तिम [illegible] प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित की सजरा अनवान को मय तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक लिखे स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन अस्वीकार है। प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी सं.2, 3 के दादा पोकरराम पुत्र हरलाल को 1960 में आंवटन हुई थी। अप्रार्थी सं.2, 3 के दादा को 1960 में आंवटन हुई कृषि भूमि दादा पोकरराम की स्वअर्जित कृषि भूमि थी। अप्रार्थी सं.2, 3 के दादा पोकरराम ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में से 10 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थी सं.2, 3 के पिता यानी अपने बेटे हनुमानराम के नाम दर्ज करवा दी। अप्रार्थी सं. 2, 3 के पिता हनुमानराम के नाम 10 बीघा भूमि हनुमानराम की अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि हुई। अप्रार्थी सं. 2, 3 के पिता ने अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि में से 8 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। शेष जैम कृषि भूमि अपनी पत्नी यानी अप्रार्थी सं.1 के नाम जरिये दस्तावेज दान पत्र दिनांक 04.09.2019 को नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार से अप्रार्थी सं. 2, 3 के दादा पोकरराम ने अपनी आंवटनशुदा भूमि अपने जीवनकाल में अपने पुत्र हनुमानराम के नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 को अपने पति की स्वअर्जित कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थी सं. 2, 3 का हक व हिस्सा नही है न ही प्रार्थी एवं मन अप्रार्थी सं. 2, 3 अपनी माता अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि में किसी प्रकार की स्वामेदारी घोषणा करवाने के हकदार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी के नाम दर्ज कृषि भूमि उसकी स्वंय की स्वअर्जित कृषि भूमि है उसमें किसी भी वारिसान का हक व हिस्सा नही है। जब अप्रार्थी सं.1 की स्वअर्जित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है तो मौखिक हक व हिस्सा छोड़ने की बात मनगढंत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 की स्वअर्जित कृषि भूमि में प्रार्थी एवं मन अप्रार्थी सं.2, 3 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुरू से ही काबिल खारिज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5. अस्वप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि है जिसमें मन अप्रार्थी सं. 2, 3 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। उक्त भूमि वाक्त कभी कोई घरू बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज स्वअर्जित कृषि भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय नही करना चाहती है। प्रार्थी ने मात्र तथ्यों को रमत देने के लिये झूठे व मिथ्या कथन अंकित किये है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है—

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :— प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम है जो वाद भूमि के रिकोर्ड खातेदार है। प्रार्थी के हक हिस्सों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 53–88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डिड खातेदार होने के कारण प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि अप्रार्थीया की पैतृक संपति के सम्बंध में निर्णय वाद पत्र में किया जाना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित ळें

2. **सुविधा का संतुलन** :–अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी ने पूर्व में किये गए हकत्याग के संबंध में वर्णन किया है परन्तु राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 रिकार्डिड खातेदार अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 को उनके हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी के उपयोग–उपभोग में असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डिड खातेदार होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में साबित है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्व साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है।

आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/3/26 सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा